4 A

न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/उपजिलाधिकारी (सदर) कानपुर नगर।

वाद संख्या— /2009-10

धारा— 143 जे०ए०एल०आर०एक्ट
मौजा— सकरापुर
परगना व तहसील जिला कानपुर नगर

मुलायम सिंह महाविद्यालय बनाम उ०प्र० सरकार

NOTARY
S. K. MISHRA
Advocate
Kanpur Nagar (U.P.)
Regd. No. 8518
GOVT. OF INDIA

निर्णय

10/12/16

प्रार्थना पत्र मुलायम सिंह महाविद्यालय सकरापुर यशोदा नगर कानपुर नगर द्वारा कोषाध्यक्ष डा० मिथलेश पुत्री स्व० हरीशंकर निवासिनी म०नं० 32 ब्लाक के यशोदा नगर कानपुर नगर ने उ०प्र० सरकार को पक्षकार बनाते हुए मौजा सकरापुर परगना व तहसील सदर जनपद कानपुर नगर की खाता सं० 69 आराजी संख्या 91 रकबा 0.440हे० को अकृषिक/औद्योगिक भूमि घोषित करने हेतु प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा— 143 जे०ए०एल०आर०एक्ट दिनांक 20-11-09 प्रस्तुत की। आदेश पारित करके तहसीलदार से निर्धारित प्रारूप पर निरीक्षण आख्या प्राप्त की गयी।

तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आख्या दिनांक 26-12-2009 प्रस्तुत की, जिसमें उल्लेख किया कि मौजा सकरापुर परगना व तहसील सदर जनपद कानपुर नगर की खाता सं० 69 आराजी संख्या 91 रकबा 0.440हे० पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है और न ही उसका उपयोग बागवानी, कुक्कुट पालन/मत्स्य पालन या किसी अन्य प्रयोजन में आ रही है। उक्त आराजी के चारों तरफ आवासीय गतिविधियां चल रही है। आख्या में उक्त भूमि को यू०पी०जे०ए०एल०आर०एक्ट की धारा— 143 के अंतर्गत प्रख्यापन हेतु रिपोर्ट सहमति सहित अग्रसारित की गयी है।

मैंने पत्रावली का विधिवत अवलोकन किया। प्रस्तुत तहसीलदार आख्या दिनांक 26-12-2009 एवं वादी के प्रार्थनापत्र तथा अभिलेखों से स्पष्ट है कि मौजा सकरापुर परगना व तहसील सदर जनपद कानपुर नगर की खाता सं० 69 आराजी संख्या 91 रकबा 0.440हे० पर कृषि कार्य नहीं हो रहा तथा उसके आस-पास आवासीय गतिविधियां विकसित हो गयी है और न ही उसका उपयोग बागवानी, कुक्कुट पालन/मत्स्य पालन या किसी अन्य प्रयोग में आ रही है। आख्या में उक्त भूमि को यू०पी०जे०ए०एल०आर०एक्ट की धारा— 143 के अंतर्गत प्रख्यापन हेतु रिपोर्ट सहमति सहित अग्रसारित की गयी है। उक्त भूमि अकृषिक/आवासीय घोषित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

आदेश

ग्राम मौजा सकरापुर परगना व तहसील सदर जनपद कानपुर नगर की खाता सं० 69 आराजी संख्या 91 रकबा 0.440हे० भूमि को उ०प्र०जे०ए०एल०आर०एक्ट की धारा— 143 के अंतर्गत अकृषिक/आवासीय भूमि घोषित किया जाता है। तहसीलदार की आख्या दिनांक 26.12.09 आदेश का अभिन्न अंग होगी। तद्नुसार खतौनी अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक एक प्रमाणित प्रति तहसीलदार सदर एवं संबंधित उपनिबन्धक को आवश्यक कार्यवाही हेतु/सूचनार्थ भेजी जाय। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाए।

29-12-09

(प्रहलाद सिंह)
सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/
उप-जिलाधिकारी (सदर)
कानपुर नगर।

उक्त आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

(प्रहलाद सिंह)
सहायक कलेक्टर (प्र०श्रे०)/
उप जिलाधिकारी (सदर)
कानपुर नगर।

सचिव
मूलायम सिंह महा विद्यालय
कानपुर-नगर

10/12/16

न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/उपजिलाधिकारी (सदर) कानपुर नगर।

152/96 /11-12

धारा– 143 जेड0ए0एल0आर0एक्ट
मौजा–सकरापुर
परगना व तहसील जिला कानपुर नगर।

मुलायम सिंह महाविद्यालय बनाम उ0प्र0 सरकार

नकल — निर्णय–दि - 8.6.12

प्रार्थी मुलायम सिंह महाविद्यालय सकरापुर यशोदा नगर कानपुर नगर द्वारा प्रबन्धक डा0 मोहर सिंह पुत्र स्व0 अमृत सिंह निवासी 31के0 80 फिट रोड यशोदा नगर कानपुर नगर ने उ0प्र0 सरकार को पक्षकार बनाते हुए ग्राम सकरापुर की खाता सख्या– 70 की आराजी संख्या– 79अ रकवा 0.031हे0 व 79ब रकवा 0.031हे0 कुल 2 किता कुल रकबा 0.062हे0 मा0गु0 2.45 को अकृषिक/औघोगिक भूमि घोषित करने हेतु प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा– 143 जेड0ए0एल0आर0एक्ट प्रस्तुत किया। आदेश पारित करके तहसीलदार से निर्धारित प्रारूप पर निरीक्षण आख्या प्राप्त की गयी।

तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आख्या दिनॉक 08–06–2012 प्रस्तुत की गयी, जिसमें उल्लेख किया कि ग्राम सकरापुर की खाता सख्या– 70 की आराजी संख्या– 79अ रकवा 0.031हे0 व 79ब रकवा 0.031हे0 कुल 2 किता कुल रकवा 0.062हे0 मा0गु0 2.45 पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है और न ही उसका उपयोग बागवानी, कुक्कुट पालन/मत्स्य पालन या किसी अन्य प्रयोजन में आ रही है। मौके पर वर्तमान समय निर्माण है एवं निर्माण कार्य चालू है तथा आसपास आवासीय गतिविधियॉं विद्यमान है । भूमि पूर्णतया अकृषिक/औघोगिक है। नकल खतौनी मे भूमि प्रार्थी के नाम संकमणीय भूमिधर दर्ज अभिलेख है। आख्या में उक्त भूमि को यू0पी0जेड0ए0एल0आर0 एक्ट की धारा– 143 के अंतर्गत प्रख्यापन हेतु रिपोर्ट सहमति सहित अग्रसारित की गयी है।

मैने पत्रावली का विधिवत अवलोकन किया। प्रस्तुत तहसीलदार आख्या एवं वादीगण के प्रार्थनापत्र तथा अभिलेखों से स्पष्ट है कि ग्राम सकरापुर की खाता सख्या– 70 की आराजी संख्या– 79अ रकवा 0.031हे0 व 79ब रकवा 0.031हे0 कुल 2 किता कुल रकवा 0.062हे0 मा0गु0 2.45 पर कृषि कार्य नहीं हो रहा तथा उसका अकृषिक प्रयोग किया जा रहा है और न ही बागवानी, कुक्कुट पालन/मत्स्य पालन या किसी अन्य प्रयोग में आ रही है। आख्या में उक्त भूमि को यू0पी0जेड0ए0एल0आर0एक्ट की धारा– 143 के अतर्गत प्रख्यापन हेतु रिपोर्ट सहमति सहित अग्रसारित की गयी है।

आदेश

ग्राम सकरापुर की खतौनी व0 1414–1419 फ0 की खाता सख्या– 70 की आराजी संख्या– 79अ रकवा 0.031हे0 व 79ब रकवा 0.031हे0 कुल 2 किता कुल रकवा 0.062हे0 मा0गु0 2.45 भूमि को उ0प्र0 जेड0 ए0 एल0 आर0 एक्ट की धारा– 143 के अंतर्गत अकृषिक/औघोगिक भूमि घोषित किया जाता है। तहसीलदार की आख्या दिनॉक 08–06–2012 आदेश का अभिन्न अंग होगी। तद्नुसार परवाना अमलदरामद जारी हो तथा एक प्रमाणित प्रति तहसीलदार एवं संबंधित उपनिबन्धक को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली अभिलेखागार में अभिरक्षित हो।

दिनॉक– 8/6/12

(इन्द्रपाल उत्तम)
सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/
उप–जिलाधिकारी (सदर)
कानपुर नगर।

उक्त आदेश तिथि हस्ताक्षरित होकर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

8/6/12

(इन्द्रपाल उत्तम)
सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/
उप–जिलाधिकारी (सदर)
कानपुर नगर।

आवेदन पत्र की क्रम संख्या 482
प्रार्थना पत्र देने के दिनांक 11-6-12
प्रार्थना पत्र देने वाले का नाम
नकल तैयारी के दिनांक 11-6-12
नकल देने का दिनांक 11-6-12
शुल्क 13-00/-

सचिव
मुलायम सिंह महा विद्यालय
कानपुर–नगर

सत्य-प्रतिलिपि
वाचक
उप जिलाधिकारी, कानपुर नगर

संचार कर्ता
मिलान कर्ता